DFO Kannur registered a criminal case against the fishermen of Malabar Region for catching whale sharks and selling of its meat

A whale shark, Rhincodon typus measuring 12 m. in length and 2500 kg. in weight was caught by the fishermen of Thalassery about 30 nautical miles from the shore. The whale shark was entangled in the gill net on 22.09.2008. तिमि सुरा को पकडकर मांस बेचने के लिए मलबार क्षेत्र के मछुआरों को दंडनीय अपराध (क्रिमीनल कैस)

तलश्शेरी तट से 30 समृद्री मील की दूरी से 12 मी. की लंबाई और

पर लाया गया और बाद में मछली बिक्रेता को बेच दिया गया।

2500 कि. ग्रा. के भार के तिमि सुरा रिन्कोडोन टाइपस को पकडा। इस तिमि सरा को दिनांक 22-09-2008 को गिल जाल में फँसाया गया था। इसे तट

16

ट्राइल्डिल्डिन् सी एम एफ आर आइ समाचार सं. 119, जुलाई - सितंबर 2008

It was brought to the shore by dragging and later on it was sold to a fish vendor.

On sighting the newspaper reports of catching of the whale shark, the District Forest Officer, Kannur has registered a case against the fishermen under the wild life Protection Act, 1972 for catching the whale shark and selling the meat in the market. This is the first instance of such a case registered against the fishermen from this area

under the Act. In July 2001, the Ministry of Environment and Forests included the Whale Shark in Scheduled I of Indian Wild Life Protection Act, 1972, thus giving the whale shark maximum protection and making it the first marine fish listed in the Indian Wild Life Act. It is worth to mention at this point that several countries, such as the Maldives and the Philippines, passed laws protecting whale sharks and switched over to ecotourism.

(Reported by Dr. P.P. Manoj Kumar, Senior Scientist, Calicut Research Centre of CMFRI)



Rhincodon typus

समाचार पत्र में तिमि सुरा को पकड़ने का समाचार देखकर जिला वन अधिकारी, कण्णूर ने वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम के अंदर तिमि सुरा को पकड़ने और बाज़ार में इसका मांस बेचने के लिए मछुआरों के प्रति केस रजिस्टर किया। इस क्षेत्र से वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम के अंदर मछुआरों के प्रति केस रजिस्टर करना पहली घटना है। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने जुलाई, 2001 में तिमि सुरा को भारतीय वन्य जीव (सुरक्षा) अधिनियम 1972 की अनुसूची

में सम्मिलित किया। इस तरह अधिकतम सुरक्षा देते हुए भारतीय वन्य जीव अधिनियम में जोडने वाली पहली समुद्री मछली तिमि सुरा है। यह भी ध्यान देने योग्य मुद्दा है कि कई देश जैसे मालद्वीप और फिलिप्पीन आजकल तिमि सुरा की सुरक्षा पर कम ध्यान देते रहते हैं और इन देशों का ध्यान अब पर्यावरण अनुकुल पर्यटन पर केंद्रित है।

> (डॉ. पी.पी. मनोज कुमार, वरिष्ठ वैज्ञानिक, सी एम एफ आर आइ कालिकट अनुसंधान केंद्र द्वारा तैयार की गयी रिपोर्ट)